



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1535]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 2019/वैशाख 23, 1941

No. 1535]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 13, 2019/VAISAKHA 23, 1941

## कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

**का.आ. 1727(अ).**—केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अधिसूचना का.आ. 2412(अ) तारीख 12 जून, 2018, जो पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए समिति (सीपीसीएसईए) के गठन को अधिसूचित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में,--

(क) क्रम सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी--

- संयुक्त सचिव, प्रभारी पशु कल्याण,  
भारत सरकार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,  
पशुपालन और डेयरी विभाग - शेष अवधि के लिए ;

(ख) क्रम सं. 2 का लोप किया जाएगा ;

(ग) क्रम सं. 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी--

20. उपायुक्त (पशु कल्याण),  
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,  
पशुपालन और डेयरी विभाग।

[फा. सं. वी-11011(13)/1/2019-एएनएलएम-डीएडीएफ]

ओ.पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए समिति (सीपीसीएसईए) अंतिम बार गठन अधिसूचना सं. 2412(अ) तारीख 12 जून, 2018 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2019

**S.O. 1727(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 (1) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change S.O 2412 (E) dated 12<sup>th</sup> June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) notifying the constitution of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA), namely:-

2. In the said notification,-

(a) at entry related to serial number 1 following entries shall be inserted-

1. Joint Secretary, In-Charge of Animal Welfare,  
Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,  
Department of Animal Husbandry and Dairying;

(b) Serial number (2) may be read as deleted

(c) at entry related to serial number 20, following entries shall be inserted-

20. Deputy Commissioner (Animal Welfare),  
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,  
Department of Animal Husbandry and Dairying.

[F. No. V-11011(13)/1/2019-Anlm-Dadf]

O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

**Note:** The last notification for the constitution of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) was issued vide S.O. 2412 (E) dated 12<sup>th</sup> June, 2018.